प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी ।

सेवामें,

प्रबन्धक,

[illegible] पब्लिक स्कूल
[illegible], सारनाथ वाराणसी

विषय: शि0वि0/मा0प्रा0/ 9043 /98-99 दिनांक 24/7/98

विषय: प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध

—0—

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के सन्दर्भ में जिला मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को दिनांक 1-7-98 से दिनांक 30-6-2001 तक (तीन वर्ष) की अवधि के लिए प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

1- संबंधित विद्यालय अपने स्वामित्व में भवन विकसित करेंगे ।

2- प्रबन्धतन्त्र सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को नियमानुसार सेवा नियमावली 1975 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर विधारोपरान्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति करने के पश्चात इस कार्यालय से अनुमोदन अवश्य कराना सुनिश्चित करें । अप्रशिक्षित अध्यापकों को कदापि अनुमन्य नहीं किया जायेगा । अप्रशिक्षित अध्यापकों को तत्काल हटाकर उनके स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाँय ।

3- नियमानुसार मानक के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक सहित कुल पाँच शिक्षक अनुमन्य होंगे । प्राइमरी विद्यालय में लिपिक एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारी का कोई पद अनुमन्य नहीं है ।

4- विद्यालय में विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्यापन कार्य किया जाय तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शिक्षा कदापि न दी जाय ।

5- छात्रों से नियमानुसार रू0 15/- (रूपये पन्द्रह मात्र) ही शुल्क लिये जायें और प्रत्येक निधियों का खाता/पासबुक खोलकर शुल्क जमा किया जाय और उसका लेखा जोखा आदि सुरक्षित रखे जायें ।

5- छात्रों के लिए खेलने के मैदान की व्यवस्था की जाय ।

6- विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का यह दायित्व होगा कि वे सभी शर्तों को पूरा कर उक्त निर्धारित अवधि के मध्य स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समयान्तर्गत प्रस्तुत करें अन्यथा मान्यता की अवधि समाप्त होने पर दी गयी मान्यता स्वत: समाप्त समझी जायेगी तथा किसीभी प्रकार का मान्यता में समयवृद्धि/नवीनीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा ।

7- संस्था के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण होना नितान्त आवश्यक है ।

Manager
P. P. S. Public School
Sarnath, Varanasi

PRINCIPAL
P. P. S. Public School
Sarnath, Varanasi

——2

9- आवेदन- पत्र मे अंकित कम से कम तीन प्रशिक्षित अध्यापको के कार्यरत होने की अवस्था मे ही अस्थायी मान्यता का आदेश निर्गत किया जा रहा है, शेष दो पदो पर भी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमानुसार चयन के माध्यम से की जाय ।

10- प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाया गया तो तत्काल प्रभाव से निर्गत अस्थायी मान्यता किसी भी समय प्रत्याहरित कर ली जायेगी जिसका पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा ।

11-

12-

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी ।

पृ०सं० शि०वि०/मा०प्रा०/ 9043 /98-99 दिनांक उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1- प्रति उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ।
2- प्रति शिक्षा अधीक्षक{नगर} नगर निगम वाराणसी ।
3- प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी ।
4- प्रति मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक{बेसिक} प्रथम मण्डल, वाराणसी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी ।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवामें,

प्रबन्धक

प्रभु प्रकाश समाधि गुप्त पब्लिक स्कूल

सारनाथ-वाराणसी ।

पत्रांक: शिविर/मान्यता/9239-43 /99-2000 दिनांक 31-3-2000

विषय:- जूनियर हाईस्कूल अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या:646/15-6-97-10 एस0(7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 के प्राविधानान्तर्गत मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को जू0हा0स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता, आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है। "अ" श्रेणी की मान्यता हेतु आवेदन करने पर तभी विचार किया जायेगा जब नियमानुसार विद्यालय "अ" श्रेणी की मान्यता शर्तों को पूरा करेगा।

उपर्युक्त शासनादेश में विहित प्राविधानान्तर्गत विद्यालय में निम्नांकित शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य किये जाते हैं :-

1-प्रधानाध्यापक - एक
2-सहायक अध्यापक-चार (जिसमें एक विज्ञान/गणित एवं एक भाषा का होगा।
3-लिपिक -एक
4-परिचारक -एक

कुल -07(सात)

शासकीय तथा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने तथा मान्यता संबंधी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर विधालय को प्रदत्त मान्यता तत्काल प्रत्याहरित कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व संस्थाधिकारियों का ही होगा ।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी ।

पृष्ठांकन:मान्यता/9239-43 /-। उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)(प्र)म मण्डल-वाराणसी ।
2-जिला विद्यालय निरीक्षक-वाराणसी ।
3-वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा-वाराणसी ।
4-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी. **चिरईगाँव**. . .वाराणसी ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी ।

Manager
P. P. S. Public School
Sarnath, Varanasi

PRINCIPAL
P. P. S. Public School
Sarnath, Varanasi

10- प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाया गया तो तत्काल प्रभाव से निर्गत अस्थायी मान्यता किसी भी समय प्रत्याहरित कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधि उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

भवदीय

§विष्णु श्याम द्विवेदी§
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृष्ठांकन संख्या/ /-। उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक§बेसिक§पंचम मण्डल-वाराणसी।

2-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी......वाराणसी

§विष्णु श्याम द्विवेदी§
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।